न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 134/2017

1. प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शास्त्री जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा राज0

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, दौसा दिनांक 31.10.2017 बाबत निरस्ती प्राधिकार पत्र अपीलांट

उपस्थितः 1.श्री योगेश जाकड अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 31.10.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट को प्राधिकार पत्र संख्या 544/2002 द्वारा ग्राम पंचायत गीजगढ के उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु एफ पी एस डीलर नियुक्त कर रखा है। उक्त लाईसेन्स के तहत अपीलांट नियमानुसार अपने वितरण क्षेत्र में विपक्षी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली राशन सामग्री का उपभोक्ताओं में नियमानुसार वितरण करता है। प्रार्थी अपनी पत्नि की मानसिक स्थिति खराब चलने के कारण अपनी पत्नि के इलाज में व्यस्त रहा। जिसके कारण उचित मूल्य सामग्री वितरण समय पर नहीं कर पाया। जिस पर डीलर का प्राधिकार पत्र रसद कार्यालय के आदेश क्रमांक 1473 दिनांक 26.05.2017 द्वारा उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया था। तत्पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 की शर्त संख्या 11 को दोषी मानते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र को आदेश दिनांक 31.10.2017 द्वारा निरस्त फरमा दिया गया। प्रार्थी ने निलम्बन आदेश पारित करने से पूर्व दिनांक 23.03.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर दिया था। इसके पश्चात् जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई तारीख पेशी की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई, ना ही इस आशय की कोई सूचना पत्र प्रार्थी को जारी किया गया। जबकि अपीलाधीन आदेश ने जिला रसद अधिकारी ने यह तथ्य अंकित किया गया है

कि डीलर द्वारा दिनांक 02.03.2017 से लगभग 7 पेशीयां हो जाने के उपरान्त भी प्राधिकार पत्रों के शर्तों के अनुसार कार्यालय में आकर कोई रूची प्रकट नहीं की गई है। जो सवर्था अनुचित है। प्रार्थी द्वारा स्वयं ही दिनांक 23.03.2017 को जवाब पेश कर डीलर के रूप में कार्य करने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी गई थी। उसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट की पत्नि की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण समय पर राशन सामग्री का वितरण नही कर सका, किन्तु उपभोक्ताओं को राशन सामग्री देर सवेरे उपलब्ध करवायी गई है। जिसमें अपीलांट की कोई बदयान्ति नही रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट को दिनांक 02.03.2017 से लगभग 7 पेशीयां हो जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार उठाव/वितरण कार्य संपादित किये जाने हेतु उपस्थित आकर कोई रूची प्रकट नहीं की गई है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 11 का दोषी मानते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करते हुए जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री प्रहलाद कुमार शर्मा डीलर द्वारा दिनांक 23.03.2017 को कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रार्थी अपीलांट दिनांक 23.03.2017 को जवाब नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा